मनीष कुमार बनाम लाधुराम

07-02-2024

अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा कथन किया गया कि प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष जैरकार धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 16–08–2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जैरकार वादपत्र का अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। लिहाजा इसी स्तर पर निर्णित की जावे। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा अपनी बहस में कथन किया की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लम्बित वादपत्र को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है, नाकि गुणावगुण पर निस्तारण किया गया है। ऐसी स्थिति में जब तक पक्षकारों के मध्य वादपत्र का निर्धारण गुणावगुण पर नहीं हो जाता, प्रस्तुत अपील को निष्प्रभावी घोषित नहीं किया जा सकता। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि प्रकरण में चूंकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित वादपत्र दिनांक 11–10–2022 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है, उक्त अवधि के पश्चात् अपीलांट् द्वारा वादपत्र को पुनः रेस्टोर करवाये जाने का कोई ठोस प्रयास किया गया है, ऐसा कोई प्रमाण अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में यह तथ्य निर्विवाद है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लम्बित वादपत्र का अंतिम रूप से निस्तारण हो चुका है, लिहाजा धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 16–08–2021 स्वमेव वादपत्र में पारित निर्णय में समाहित होने के कारण प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो चुकी है। अतः अपीलांट्स की अपील जरिये निष्प्रभावी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तकमील दाखिल दफत्र हो ।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर